न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 233/2011 (उदयपुर डिक्री)

माधवसिंह मुतबन्ना जयसिंह जी राजपूत, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सज्जन कुंवर (पुत्री जयसिंहजी) पत्नी फतहसिंहजी राजपूत, निवासी शम्भुपुरा (पुलियाखेड़ा), तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भूरसिंह पिता प्रतापसिंहजी राजपूत, निवासी मोरठ (मृतक) के बजाय :–

2/1. विजयसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. प्रेमसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. रतनसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती अमृत कुंवर पत्नी भूरसिंह जी राजपूत, निवासी मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सरपंच ग्राम पंचायम मोरठ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पटवारी, पटवार हल्का फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 21.10.2011, प्र.सं. 246/07

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

---::---

निर्णय दिनांक 30–04–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरठ में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कुल किता 7 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड संवत् 2061 से 2064 में भूरसिंह, जयसिंह पिता प्रतापसिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जयसिंह का देहावसान दिनांक 02–12–2005 को हो गया तथा उसकी पत्नी का भी दिनांक 05–09–2007 को देहान्त हो चुका है, जिनके कोई लड़का नहीं है एवं एक लड़की प्रतिवादी संख्या 1 है, जो अपनी ससुराल में रहती है, जिससे जयसिंह व उसकी पत्नी की सेवा चाकरी वादी ने की एवं उनके भरण पोषण का सारा खर्च वादी ने उठाया, इसलिए उन्होंने वादी को गोदीना पुत्र रखा एवं वादी के पक्ष में दिनांक 10–08–2005 को गोदनामा लिख अगूंठा निशानी कर दी। तब से वादी श्री जयसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जमीन अपने नाम कराने एवं खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है, जबकि उक्त भूमि में आधार हिस्सा भूरसिंह का व आधा हिस्सा जयसिंह का दर्ज है एवं जयसिंह द्वारा वादी को गोद रखे जाने से एवं वसीयत किये जाने से वादी जयसिंह के 1/2 हिस्से का अकेला मालिक काबिज है। निवेदन कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 भैरूसिंह द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी को जयसिंह का गोद पुत्र होने एवं कब्जा वादी का ही होने का कथन किया।

प्रतिवादी संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया जयसिंह ने वादी को कभी भी गोद नहीं रखा। प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह की एक मात्र पुत्री होकर उसकी

समस्त सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया खातेदार जयसिंह की एक मात्र पुत्री होने से उसे जयसिंह की 1/2 हिस्से की भूमियों का खातेदार घोषित किया जावे एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उपरोक्त काउण्टर क्लेम का वादी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा नहीं है, क्योंकि वादी खातेदार जयसिंह गोद पुत्र होने से उनके द्वारा सारी भूमियों की लिखा–पढ़ी वादी के पक्ष में कर दी गयी है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 13–02–2009 को निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी स्वर्गीय जयसिंह का गोदीना पुत्र है ?............ वादी
2. आया जयसिंह ने दिनांक 10–08–2005 को वादी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित किया ?............ वादी
3. आया स्वर्गीय जयसिंह की सम्पत्ति पर वादी का कब्जा है ?............ वादी
4. आया वादी के पक्ष में स्वर्गीय जयसिंह ने वसीयतनामा निष्पादित किया ?.............वादी
5. आया वाद में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 अनावश्यक पक्षकार होने से मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का दोष होने से वाद निरस्त होने योग्य है ?.............प्रतिवादी
6. आया वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने से वाद निरस्त होने योग्य है ?.............प्रतिवादी
7. आया स्वर्गीय जयसिंह के नाम अंकित 1/2 हिस्से की आराजियात की प्रतिवादीया संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से अपने पक्ष में खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारिणी है ?.............प्रतिवादीया संख्या 1
8. अनुतोष ?

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–01–2010 तक वादी की साक्ष्य में विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 26–03–2010 को प्रतिवादी

संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा कोई भी रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया गया है। गोद बाबत् घोषणा हेतु अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। जब तक वादी अपने आपको सिविल न्यायालय से गोद पुत्र घोषित नहीं करवा ले तब तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतएवं वादी इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का वादी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त एतराज अपने जवाबदावे में उठाया जा चुका है, जिस पर तनकीयात भी कायम हो चुकी है तथा प्रकरण साक्ष्य से तय होने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 सज्जन कुंवर द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 21—10—2011 से प्रतिवादी संख्या 1 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25—11—2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान कायम मुकाम किये जाकर रेकार्ड पर लिये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के वारिसान वक्त बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के स्कोप को समझे बिना ही कथित निर्णय पारित करने में भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में केवल यह कथन किया गया है कि गोद बाबत् घोषणा हेतु श्रवणाधिकार केवल सिविल न्यायालय का है अतः जब तब सिविल न्यायालय से गोद पुत्र घोषित नहीं करा ले तब तक खातेदारी घोषणा का वाद नहीं चल सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को तय नहीं कर गोद पुत्र शून्य प्रभावी मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। कानूनी प्रावधानों अनुसार गोद के सम्बन्ध में जो तनकी बनायी गयी है, यदि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मानी जाती तो हस्ब धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार उक्त तनकी तय करने हेतु सिविल न्यायालय को भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार में अपीलान्ट द्वारा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये सरसरी निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर तनकियात कायम होने के बाद साक्ष्य के स्तर पर बिना साक्ष्य लिए गोदनामे को शून्य प्रभावी मानकर वादी का वाद खारिज किया है, जबकि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत हमेशा वाद के तथ्यों को ही देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है तथा प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का काउण्टर क्लेम भी लम्बित हैं, जिस पर तनकियात कायम शुदा है। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा गोद पुत्र होने एवं वसीयत के आधार पर घोषणात्मक राहत चाही गयी है तथा इस हेतु दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों की विधिकता का परीक्षण साक्ष्य सबूतों के आधार ही किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत

वादी के वाद को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानते हुए खारिज कर दिया है, जबकि प्रकरण वादी के साक्ष्य में लम्बित तथा तनकियात कायम शुदा थी तो यदि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानता है तो उसे प्रकरण सिविल न्यायालय में भिजवाना चाहिए था। आश्चर्य जनक रूप से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाबत् तनकी भी कायम नहीं की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाबदावे में इस बाबत् कोई आपत्ति भी नहीं उठायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किये बिना आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन पर प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार का वादी का वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते समय ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किये हैं, जिससे उक्त वाद क्षेत्राधिकार विहीन प्रकट होता हो, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21—10—2011 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी/अपीलान्ट के वाद एवं प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के काउण्टर क्लेम पर बनी तनकियात पर उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनकर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29—06—2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30—04—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती जवेरी पत्नी स्व. नारूजी डांगी, निवासी गन्दोलीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती भूरी पुत्री नन्दाजी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं...........**22/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**मावली**.......... मुकाम...............मुवर्खे.............**03**..............माह.............**09**............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**31**.....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू......**पक्षकारान** व हाजरी.......**श्री संजय बोहरा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ......**श्री ओंकारलाल डांगी**...

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**31**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।